17/2017 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 17/2017 अनवानी श्री अश्वनी कुमार शर्मा निवासी संत साथन भवन, विवेक विहार (गमरू) धर्मशाला जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) बनाम उपजिला मजि0, अनूपगढ

A3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21—03—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अश्वनीकुमार शर्मा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अश्वनी कुमार शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2017 के द्वारा एसडीएम अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थीः—

It is established beyond doubt that The Rajasthan Govt. was allotted land in tehsil Anupgarh out of the land notified to Popng Dam Oustees through the illegal means to the following Non Pong Dam Oustees in the resident of Punjab State

Name of Non Pong Dam Oustees	Chak No.	Murabba No.
1. Smt. Rattani Devi W/0 HansRaj Kanoongo Punjab service in the 0/0 DC (R&R)	2 K.A.	217/62
2. Smt. Gurdial Kour	3 J.M.	182/52
3. Smt. Chanan Kour	3 J.M.	102/10
4. Smt. Gurubachan Kour	3 J.M.	187/87
5. Smt. Darshan Kour	3 J.M.	182/51
6. Sh. Darshan singh	3 J.M.	182/58
7. Sh. Nek singh	3 J.M.	182/59
8. Smt. Surinder Kour	3 J.M.	202/11
9. Smt. Harbans Kour	3 J.M.	282/58
10. Sh. Gurdev singh	3 J.M.	201/06

(i) Supply the certified photo copies of the allotment Files of the above names of 10 allottees Who were allotted land in tehsil anupgarh in 1973-74

(ii) Certified photo copies of The possession delivered to above named of 10 allottees.

(iii) Supply the certified copies of the status of each allottees as per current revenue records with the tehsil Anupgarh.

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना एस.डी.एम. अनूपगढ़ द्वारा उपलब्ध नही करवाई है और न ही उसे कोई उत्तर दिया गया है। इसलिएः अपील स्वीकार की जाकर उसके द्वारा वांछित सूचनांए दिलवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र एवं आवेदन पत्र की प्रतियां उपजिला मजि0 अनूपगढ को पत्र सं0 550 दिनांक 07.03.17 के द्वारा प्रेषित कर प्रतिवेदन एवं संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था। किन्तु उपजिला मजि. अनूपगढ द्वारा न तो अपना कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और न ही अभिलेख प्रस्तुत किया है और न ही उनकी तरफ से कोई सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ है और न ही अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उसे उपलब्ध करवाई गई है और न ही उनके बारे में कोई लिखित उत्तर दिया गया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

17/2017 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत आवेदन पत्र का 30 दिवस के भीतर निस्तारण किया जाना आवश्यक है किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में कोई निर्णय लिया गया हो, ऐसा प्रतीत नही होता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला मजि0 अनूपगढ को निदेशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के संबंध में निर्णय लिया जावे और देय योग्य सूचनांए निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे और यह भी आदेश दिया जाता है कि भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्रो का निर्धारित अवधि में ही निस्तारण किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला मजि0 अनूपगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

684-85
30-3-17

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर